



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



क्षेत्रीय भवन, वात्सल्य हल, सेक्टर II, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector II, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email: fpo@moef-lko.nic.in; pmoc@moef-lko.nic.in

पत्र सं 0 : 8वीं/यूपी0/06/66/2022/एफसी/312

दिनांक: 24.08.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, वापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/151747/2022

विषय: जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बरौली मार्ग के किमी0 6 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के किमी0 372 तक पीलीभीत बाईपास निर्माण में पीलीभीत-गैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के गध्य दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के कार्य में प्रस्तावित 0.1021 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3976/11-सी-FP/UP/Road/151747/2022, दिनांक 19.06.2023. महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-141/81-2-2022-800(137)/2022, दिनांक 28.05.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी है।

प्रसंगत प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 03.04.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रकरण को दिनांक 10.09.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 8.1 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभिन्न प्रेक्षाओं के अभाव में प्रकरण को आस्थगित (defer) कर दिया गया है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार निम्नलिखित जानकारी/सूचना एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

- 1- The names of official/ authority on whose orders area has been used for non-forestry purpose without approval of Central Government, for initiating action under clause 3A and 3B of FCA, 1980.
- 2- In case no authority has passed the orders then DFO needs to certify that no authority has passed orders and action will be initiated against HoD for violation of FCA (1980).

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (क्षेत्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(होफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0का0 प्रभाग, पीलीभीत।
5. प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पीलीभीत।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (क्षेत्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 511 /11सी-FP/UP/Road/151747/2022 दिनांक, लखनऊ, अगस्त 25, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करे।

प्रतिलिपि- प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पीलीभीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।